

प्रकरण संख्या-184/18

- 1- सुल्तान } पिसरान श्री कालूराम अकवाम छिम्पा साकिनान ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ़
2- मुखराम } जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3- सुन्दरपाल } पिसरान श्री चानणराम अकवाम छिम्पा साकिनान ग्राम मालेर तहसील
4- मोहनलाल } सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.....वादीगण

बनाम

- 1- मनीराम पुत्र श्री न्यौलाराम जाति जाट साकिन 31 एन.डी.आर. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2- तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज0 काश्तकारी अधिकारी अधिनियम

उपस्थित :-

- 1- श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादीगण।
2- राजवीर भादू अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1।
3- पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

--- निर्णय ---

दिनांक:-19.12.2019

पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर राजस्व तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही मालेर की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 20/60 के खसरा नं. 244/157 में 5.515 है0 बरानी भूमि व चक 4 एम.आर.एम. की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 11/19 के प0 न0 79/45(60) के कि0न0 6, 14 ता 17, 24-25 = 1.771 है0 अ0क0, प0 न0 79/54(62) के कि0न0 1 ता 4, 8 ता 10, = 1.771 है0, प0 न0 79/46(62) के कि0न0 5-6 = 0.506 है0 (अ0क0 0.481 है0, खाला 0.025 है0) कुल 4.048 है0 (अ0क0 3.873 है0, गै0मु0रास्ता 0.050 है0, खाला 0.125 है0) इसी प्रकार चक 5-6 एम.आर.एम. की जमाबन्दी सम्वत 2062-2065 के खाता संख्या 17 के प0 न0 71/52(92) के कि0न0 21-22 = 0.506 है0, प0 न0 79/53(97) के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 24 = 4.301 है0 (अ0क0 4.176 है0, गै0मु0रास्ता 0.125 है0) कुल 4.807 है0 (अ0क0 4.606 है0, गै0मु0रास्ता 0.201 है0) भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चकबन्दी लागू होने पर उपर वर्णित रकबा खसरा नं. 44 का 8.754 है0 रकबा में से चक 4 एम आर एम में 4.048 है0 रकबा पैमूद हुआ व चक 5-6 एम आर एम में 4.807 है0 रकबा पैमूद किया व खसरा नं. 157 का 5.515 है0 रकबा खसरों में रहने के कारण आज भी वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नं. 157 के स्थान पर कम्प्यूटर जमाबन्दी होने के कारण 244/157 का 5.515 है0 रकबा अंकित है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा खसरा नं. 44 का रकबा चकबन्दी में पैमूद तो कर दिया लेकिन वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा पूर्व में दोनों खसरों के अनुरूप ही अंकित कर दिया जिसके कारण जमाबन्दी में रकबा तो कम हो गया लेकिन हिस्सा सही नहीं होने के कारण वादीगण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के हिस्सों को सही किया जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी नं. 1 की तरफ से राजवीर भादू वकील उपस्थित होकर उक्त इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया वाद वादी के साक्ष्य करवाये जाने के उपरान्त बहस सुनी गई।

..... 2 पर लगातार


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व : तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही मालेर की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 20/60 के खसरा नं. 244/157 में 5.515 है0 बारानी भूमि व चक 4 एम.आर.एम. की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 11/19 के प0 न0 79/45(60) के कि0न0 6, 14 ता 17, 24-25 = 1.771 है0 अ0क0, प0 न0 79/54(62) के कि0न0 1 ता 4, 8 ता 10, = 1.771 है0, प0 न0 79/46(62) के कि0न0 5-6 = 0.506 है0 (अ0क0 0.481 है0, खाला 0.025 है0) कुल 4.048 है0 (अ0क0 3.873 है0, गै0मु0रास्ता 0.050 है0, खाला 0.125 है0) इसी प्रकार चक 5-6 एम.आर.एम. की जमाबन्दी सम्वत 2062-2065 के खाता संख्या 17 के प0 न0 71/52(92) के कि0न0 21-22 = 0.506 है0, प0 न0 79/53(97) के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 24 = 4.301 है0 (अ0क0 4.176 है0, गै0मु0रास्ता 0.125 है0) कुल 4.807 है0 (अ0क0 4.606 है0, गै0मु0रास्ता 0.201 है0) भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 11/12 सलग्न है जो प्रदर्श संख्या 1 है। उक्त रकबा पूर्व में खसरो में होने के कारण रोही मालेर खसरा नं. 44 का 8.754 है0 रकबा में से चक 4 एम आर एम में 4.048 है0 व चक 5-6 एम आर एम में 4.807 है0 रकबा पैमूद किया गया जिसमें दोनों ही चकों वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा पूर्व के खसरो के अनुरूप दर्ज हो गया जिससे वर्तमान रिकार्ड ऑनलाईन नहीं होने के कारण वादीगण को अन्य कोई सहायता नहीं मिल रही है व पटवारी हल्का द्वारा उक्त खाता अपवादीत दर्ज है वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जाकाशत अनुरूप व हिस्सा काशत अनुरूप निम्न अनुसार से दर्ज किया जावे:-

- (क) रोही मालेर के खसरा नं. 244/157 का 5.515 है0 रकबा में से वादी संख्या 1 का कब्जाकाशत 1.839 है0 रकबा पूर्वी पाशा में है। व वादी संख्या 2 का कब्जाकाशत 1.838 है0 रकबा मध्य में व वादी संख्या 3 व 4 के नाम 1.838 है0 रकबा ब0हि0बराबर का कब्जाकाशत इसी खसरा के पश्चिमी साईड में है। इसी अनुरूप खाता विभाजन किया जावे व इसी अनुरूप प्रतिवादी नं. 1 का नाम उक्त रकबा कलमजन किया जावे।
- (ख) यह कि चक 4 एम आर एम व चक 5-6 एम आर एम का पैरा नं. 2 में अंकित रकबा में से वादी संख्या 2 मुखराम के नाम से चक 4 एम.आर.एम. के प0 न0 79/45(60) के कि0न0 14 ता 17, 24-25 = 1.518 है0 व चक 5-6 एम.आर.एम. के प0 न0 79/53(97) के कि0न0 11/0.064 है0, 17 ता 21/1.265 है0, 22/0.126 है0, = 1.455 है0 कुल 2.973 है0 रकबा मुताबिक कब्जाकाशत खाता विभाजन अलग किया जावे। इसी प्रकार वादी संख्या 3 व 4 सुन्दरपाल व मोहनलाल के नाम से चक 4 एम आर एम के प0 न0 79/45(60) के कि0न0 6 = 0.253 है0 व चक 5-6 एम आर एम के प0 न0 79/52(92) के कि0न0 21-22 = 0.506 है0 मय गै0मु0रास्ता व प0 न0 79/53(97) के कि0न0 1 ता 3/0.759 है0, 8 ता 10/0.759 है0, 11/0.189 है0, 12-13/0.506 है0 = 2.213 है0 कुल 2.972 है0 रकबा मुताबिक कब्जाकाशत खाता विभाजन अलग किया जावे।
- (ग) यह कि चक 4 एम आर एम व चक 5-6 एम आर एम का पैरा नं. 2 में अंकित रकबा में से प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से चक 4 एम आर एम के प0 न0 79/54(62) के कि0 न0 1 ता 4, 8 ता 10 = 1.771 है0 अ0क0 मय गै0मु0रास्ता व प0 न0 79/46(63) के कि0न0 5-6 = 0.506 है0 अ0क0 मय खाला व चक 5-6 एम आर एम के प0 न0 79/53(97) के कि0न0. 22/0.127 है0, 23-24/0.506 है0 = 0.633 है0 कुल 2.910 है0 रकबा मुताबिक कब्जाकाशत खाता विभाजन अलग किया जावे। इसी अनुरूप दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व वादी संख्या 3 का नाम सुन्दरलाल की जगह पर सुन्दरपाल दर्ज किया जावे।

..... 3 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



वकील प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इकबाल जवाब दावा को स्वीकार किया व वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

बहस का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबन्दी चक 4 एम आर एम सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 11/19 का 4.048 है० रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन काशतकारों के हिस्सों का रकबा का कुल 11.339 है० दर्ज है व इसी प्रकार चक 5-6 एम आर एम की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 खाता संख्या 17 में 4.807 है० रकबा है लेकिन काशतकारों का 1128 हिस्सा दर्ज जो कि राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन करने से पूर्व सही किया जाना उचित है इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचना अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा को ग्राम मालेर के खसरा नं. 244/157 का 5.515 है० रकबा में से वादी संख्या 1 को खसरा नं. 244/157 मीन 1 में 1.839 है० रकबा व वादी संख्या 2 को खसरा नं. 244/157 मीन 2 में 1.838 है० रकबा व वादी संख्या 3 व 4 को खसरा नं. 244/157 मीन 3 में 1.838 है० रकबा ब०हि०बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे है। व चक 4 एम आर एम के खाता संख्या 11/19 का 4.048 है० रकबा व चक 5-6 एम आर एम के खाता संख्या 17 का 4.807 है० में से वादी संख्या 2 मुखराम के नाम से चक 4 एम.आर.एम. के प० न० 79/45(60) के कि०न० 14 ता 17, 24-25 = 1.518 है० अ.क. व चक 5-6 एम.आर.एम. के प० न० 79/53(97) के कि०न० 11/0.064 है० (रास्ता 0.006 है०, अ.क. 0.058 है०), 17 ता 19/0.759 है० अ.क., 20/0.253 है० (अ.क. 0.228 है०, रास्ता 0.025 है०) 21/0.253 है० (अ.क. 0.228 है० रास्ता 0.025 है०), 22/0.126 है० अ.क. = 1.455 है० (रास्ता 0.056 है०, अ.क. 1.399 है०) दोनों चकों की कुल 2.973 है० अ.क. मय रास्ता व वादी संख्या 3 व 4 सुन्दरपाल व मोहनलाल के नाम से चक 4 एम आर एम के प० न० 79/45(60) के कि०न० 6 = 0.253 है० अ.क. व चक 5-6 एम आर एम के प० न० 79/52(92) के कि०न० 21/0.253 है० (अ.क. 0.202 है०, रास्ता 0.051 है०) 22/0.253 है० (अ.क. 0.228 है०, रास्ता 0.025 है०) = 0.506 है० (अ.क. 0.430 है०, रास्ता 0.076 है०) व प० न० 79/53(97) के कि०न० 1/0.253 है० (अ.क. 0.228 है०, रास्ता 0.025 है०) 2-3/0.506 है० अ०क०, 8-9/0.506 है० अ.क., 10/0.253 है० (अ.क. 0.228 है०, रास्ता 0.025 है०), 11/0.189 है० (अ.क. 0.170 है०, रास्ता 0.019 है०), 12-13/0.506 है० अ.क. = 2.213 है० (रास्ता 0.069 है०, अ.क. 2.144 है०) दोनों चकों की कुल 2.972 है० अ.क. मय रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 4 एम आर एम के प० न० 79/54(62) के कि० न० 1 ता 4, 8 ता 10 = 1.771 है० (अ०क० 1.621 है० गै०मु०रास्ता 0.050 है०, खाला 0.100 है०) व प० न० 79/46(63) के कि०न० 5-6 = 0.506 है० (अ०क० 0.481 है० खाला 0.025 है०) व चक 5-6 एम आर एम के प० न० 79/53(97) के कि०न० 22/0.127 है०, 23-24/0.506 है० = 0.633 है० अ.क. कुल 2.910 है० अ.क. मय रास्ता खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे है व वादी संख्या 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में सुन्दरलाल की जगह सुन्दरपाल दर्ज किया जावे है। अगर उक्त रकबा किसी बैंक के पक्ष में रहन है तो रहन यथावत रखा जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
सुरतगढ़
एवं उप खण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

डिकी बमुकदम इब्तदाई

अज अदालत -सहायक जिलाधीश एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास -मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान:-

- 1- सुल्तान } पिसरान श्री कालूराम अकवाम छिम्पा साकिनान ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ
2- मुखराम } जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3- सुन्दरपाल } पिसरान श्री चानणराम अकवाम छिम्पा साकिनान ग्राम मालेर तहसील
4- मोहनलाल } सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

- 1- मनीराम पुत्र श्री न्यौलाराम जाति जाट साकिन 31 एन.डी.आर. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
(राज.)

- 2- तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।


.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न० 184 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी सुभाषचन्द्र बिश्नोई एवं अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 राजवीर भादू व राज पैरोकार नायब तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुकम दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी कर आदेश प्रदान किये जाते है:-

ग्राम मालेर के खसरा नं. 244/157 का 5.515 है० रकबा में से वादी संख्या 1 को खसरा नं. 244/157 मीन 1 में 1.839 है० रकबा व वादी संख्या 2 को खसरा नं. 244/157 मीन 2 में 1.838 है० रकबा व वादी संख्या 3 व 4 को खसरा नं. 244/157 मीन 3 में 1.838 है० रकबा ब०हि०बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे है। व चक 4 एम आर एम के खाता संख्या 11/19 का 4.048 है० रकबा व चक 5-6 एम आर एम के खाता संख्या 17 का 4.807 है० में से वादी संख्या 2 मुखराम के नाम से चक 4 एम.आर.एम. के प० न० 79/45(60) के कि०न० 14 ता 17, 24-25 = 1.518 है० अ.क. व चक 5-6 एम.आर.एम. के प० न० 79/53(97) के कि०न० 11/0.064 है० (रास्ता 0.006 है०, अ.क. 0.058 है०), 17 ता 19/0.759 है० अ.क., 20/0.253 है० (अ.क. 0.228 है०, रास्ता 0.025 है०) 21/0.253 है० (अ.क.

..... 2 पर लगातार


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ



0.228 है0 रास्ता 0.025 है0), 22/0.126 है0 अ.क. = 1.455 है0 (रास्ता 0.056 है0, अ.क. 1.399 है0) दोनों चकों की कुल 2.973 है0 अ.क. मय रास्ता व वादी संख्या 3 व 4 सुन्दरपाल व मोहनलाल के नाम से चक 4 एम आर एम के प0 न0 79/45(60) के कि0न0 6 = 0.253 है0 अ.क. व चक 5-6 एम आर एम के प0 न0 79/52(92) के कि0न0 21/0.253 है0 (अ.क. 0.202 है0, रास्ता 0.051 है0) 22/0.253 है0 (अ.क. 0.228 है0, रास्ता 0.025 है0) = 0.506 है0 (अ.क. 0.430 है0, रास्ता 0.076 है0) व प0 न0 79/53(97) के कि0न0 1/0.253 है0 (अ.क. 0.228 है0, रास्ता 0.025 है0) 2-3/0.506 है0 अ0क0, 8-9/0.506 है0 अ.क., 10/0.253 है0 (अ.क. 0.228 है0, रास्ता 0.025 है0), 11/0.189 है0 (अ.क. 0.170 है0, रास्ता 0.019 है0), 12-13/0.506 है0 अ.क. = 2.213 है0 (रास्ता 0.069 है0, अ.क. 2.144 है0) दोनों चकों की कुल 2.972 है0 अ.क. मय रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 4 एम आर एम के प0 न0 79/54(62) के कि0 न0 1 ता 4, 8 ता 10 = 1.771 है0 (अ0क0 1.621 है0 गै0मु0रास्ता 0.050 है0, खाला 0.100 है0) व प0 न0 79/46(63) के कि0न0 5-6 = 0.506 है0 (अ0क0 0.481 है0 खाला 0.025 है0) व चक 5-6 एम आर एम के प0 न0 79/53(97) के कि0न0 22/0.127 है0, 23-24/0.506 है0 = 0.633 है0 अ.क. कुल 2.910 है0 अ.क. मय रास्ता खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे है व वादी संख्या 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में सुन्दरलाल की जगह सुन्दरपाल दर्ज किया जावे है। अगर उक्त रकबा किसी बैंक के पक्ष में रहन है तो रहन यथावत रखा जावे।

नोज.....×..... मुबलिंग.....×..... बाबत×..... खर्चा
इस मुकदमे मे मय सूद बशरह×..... फसदों की पालना.....×.....आज की
तारख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें ।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई।


सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एव उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़

